कुल पृष्ठ संख्या–32 (कवर पेज सहित) क्रम संख्या....

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

उच्च माध्यमिक परीक्षा

(परीक्षार्थी द्वारा स्वयं भरा जाना चाहियें)

Candidate's Roll No. In English

(In Figures)

(In Words)

परीक्षार्थी का नामांक हिन्दी में

शब्दों में

नोट :– परीक्षार्थी उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भी भाग में अपना नामांक नहीं लिखें।

माध्यम – हिन्दी ✓ अंग्रेजी

विषय राजनीति विज्ञान

परीक्षा का दिन सोमवार

दिनांक 11/3/2019

नोट :– परीक्षार्थी के लिए आवश्यक निर्देश इस पृष्ठ के पिछले भाग पर उल्लेखित हैं। जिन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ लें व पालना अवश्य करें।

परीक्षक हेतु निर्देश :– (1) परीक्षक को उपरोक्त सारणी अनुसार प्राप्तांक भरना अनिवार्य हैं, अन्यथा नियमानुसार दंडित किया जायेगा।

(2) परीक्षक उत्तर पुस्तिका के अन्दर के पृष्ठों के बायीं ओर निर्धारित कॉलम में लाल इंक से अंक प्रदत्त करें।

(3) कुल योग भिन्न में प्राप्त होने पर उसे पूर्णांक में ही परिवर्तित कर अंकित करें (उदारणार्थ : 15 ¼ को 16, 17 ½ को 18, 19 ¾ को 20)

प्रश्नवार प्राप्तांकों की सारणी
(परीक्षक के उपयोग हेतु)

प्रश्नों की क्रम संख्या	प्राप्तांक	प्रश्नों की क्रम संख्या	प्राप्तांक
1		19	
2		20	
3		21	
4		22	
5		23	
6		24	
7		25	
8		26	
9		27	
10		28	
11		29	
12		30	
13		31	
14		योग	
15		प्राप्त अंकों का कुल योग (Round off)	
16		अंकों में	शब्दों में
17			
18			

परीक्षक के हस्ताक्षर .... संकेतांक

प्रमाणित किया जाता है कि इस उत्तर पुस्तिका के निर्माण में 58 जी.एस.एम. क्रीमवोव कागज ही उपयोग में लिया गया है।165/2019

परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश

1. समस्त प्रश्नों का हल निर्धारित शब्द सीमा में इसी उत्तर पुस्तिका में करना है। विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका पृथक से उत्तर पुस्तिका भरी हुई होने पर पर्यवेक्षक एवं वीक्षक की अनुशषां पर ही उपलब्ध कराई जायेगी।
2. प्रश्न–पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नामांक लिखें।
3. प्रश्न–पत्र हल करने के पश्चात् जिस पृष्ठ पर हल समाप्त होता है, उस पर अन्त में "समाप्त" लिखकर अन्त के सभी रिक्त पृष्ठों को तिरछी लाईन से काटें।
4. निम्न बातों का विशेष ध्यान रखें अन्यथा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।
   - (i) उत्तर पुस्तिका के ऊपर/अन्दर तथा प्रश्नोत्तर के किसी भी भाग में चाही गई सूचना के अलावा अपना नामांक, नाम, पता, फोन नम्बर अथवा पहचान की कोई अन्य प्रकार की सूचना आदि अंकित नहीं करें अन्यथा "अनुचित साधनों के प्रयोग" के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
   - (ii) उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों को फाड़ें नहीं। उत्तर–पुस्तिका के मुख पृष्ठ पर अंकित संख्या के अनुसार पृष्ठ पूरे होने चाहिये। परीक्षार्थी उत्तरपुस्तिका प्राप्त करते ही पृष्ठ संख्या की जांच कर लें यदि पृष्ठ कम/अधिक या क्रम में नहीं हैं तो वीक्षक से तुरन्त बदलवा लें।
   - (iii) परीक्षा केन्द्रों पर पुस्तक, लेख, कागज, केलक्यूलेटर, मोबाईल, पेजर आदि किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रोनिक उपकरण तथा किसी भी प्रकार का हथियार आदि ले जाना निषेध हैं।
   - (iv) वस्त्र, स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स पर कुछ न लिखकर लावें। टेबुल के आस–पास कोई अवैध सामग्री नहीं होनी चाहिये, इसकी जांच कर लें।
   - (v) अपनी उत्तर पुस्तिका/ग्राफ/मानचित्र आदि परीक्षा भवन से बाहर ले जाना दण्डनीय अपराध है, अतः परीक्षा समाप्ति पर उत्तर पुस्तिंका वीक्षक को बिना सौंपे परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ें।
5. उत्तरों को क्रमानुसार एक ही स्थान पर लिखें। प्रश्न क्रमांक भी सही अंकित करें, अन्यथा दण्ड स्वरूप परीक्षक को 1 अंक कम करने का अधिकार है। बीच में उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ रिक्त न छोड़ें। गणित विषय के लिए रफ कार्य उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठों पर करें तथा तिरछी रेखा से काटें।
6. जहाँ तक हो सके प्रश्न के सभी भाग के उत्तर, उत्तर पुस्तिका में एक ही स्थान पर अंकित करें।
7. भाषा विषयों को छोड़कर शेष सभी विषयों के प्रश्न–पत्र हिन्दी–अंग्रेजी दोनों भाषा में मुद्रित है। किसी भी प्रकार की त्रुटि/अन्तर/विरोधाभास होने पर हिन्दी भाषा के प्रश्न को ही सही माना जाये।

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

प्र०-1

उ०- 'राजनीतिक सहभागिता में 'प्रत्याह्वान' महत्वपूर्ण अभिकरण है, क्योंकि इसमें जनता की शक्ति सर्वोपरि होती है। 'प्रत्याह्वान' का अर्थ है प्रतिनिधि को वापस बुलाना।

प्र०-2

उ०- 'पॉलिटिकल सोसिआलाइजेशन' पुस्तक के लेखक हर्बर्ट हरबर्ट साइमन है।

प्र०-3

उ०- गाँधी जी के अनुसार धर्म और राजनीति एक सिक्के के दो पहलू है। धर्म का उद्देश्य ही राजनीति का उद्देश्य है।

प्र०-4

उ०- राम मनोहर लोहीया, आचार्य नरेन्द्र देव भारतीय समाजवादी विचारक है।

प्र०-5

उ०- 'नर्मदा बचाओ आन्दोलन' का प्रमुख कारण पर्यावरण संरक्षण तथा आवासो को नष्ट होने से रोकने के लिए हुआ।

प्र०-6

उ०- "भूख से मर रहे व्यक्ति के लिए लोकतंत्र का कोई अर्थ व महत्व नहीं है।" यह कथन

P.T.O

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर
1		पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा।
1	प्र०7 उ०-	संविधान एवं नागरिको के अधिकारो की व्यवस्था का रक्षक न्यायपालिका को होता है।
1	प्र०8 उ०-	74 वां संविधान संशोधन अधिनियम नगरीय स्वशासन से सम्बंधित है।
1	प्र०9 उ०-	साम्प्रदायिकता का एक दुष्परिणाम आर्थिक व जन हानि है।
1	प्र०10 उ०-	भारत संघ की राजभाषा 'हिन्दी' का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद - 343 में किया गया है।
	प्र०11 उ०-	शक्ति व बल में सोदाहरण अन्तर निम्न है-
		1. शक्ति मनोवैज्ञानिक क्षमता है, जबकि बल भौतिक क्षमता है।

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

2. शक्ति अप्रकट है, जबकि बल प्रकट है।

3. जैसे किसी शिक्षक के पास विद्यार्थी को कक्षा से बाहर करने की शक्ति होती है लेकिन जब वह वास्तव में ऐसा करता है तो शक्ति बल में बदल जाती है।

(2)

प्र-12

उ- नकारात्मक उदारवाद की दो विशेषताएं -

① नकारात्मक उदारवाद विरोध के शासन पर जोर देता है।

② नकारात्मक उदारवाद के अनुसार व्यक्ति अपने मस्तिष्क व अपनी इन्द्रियों का स्वयं संचालक होता है।

(2)

प्र-13

उ- वैश्वीकरण :-

हमारे अन्दर आये हुए विचारों को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचाना अर्थात एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है।

(2)

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

प्र०14
उ०- नियोजन किसी भी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है तथा नियोजन की आवश्यकता के दो कारण निम्न है-

(1) विभाजन से उत्पन्न आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए।

2

(2) बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक।

प्र०15
उ०- भारत में मन्त्रिपरिषद् के आकार के सम्बंध में यह संवैधानिक प्रावधान है कि 91 वां संविधान संशोधन 2003 तथा 2004 में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली जिसके तहत मन्त्रिपरिषद् में मंत्रियों की संख्या कुल सदस्यों का 15% होगी। वर्तमान में 78 सदस्य हो।

2

प्र०16
उ०- क्षेत्रवाद की समस्या के समाधान के लिए दो उपाय निम्न हैं-

(1) संतुलित राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना।

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

(2) 2. विकास के लिए नई-2 योजनाओ को लागू करना।

प्र.17
उ. भारत-नेपाल के मध्य मतभेद के दो बिन्दु निम्न है-

① पारगमन सन्धि पर शक की भावना:-

सन् 1950 में भारत-नेपाल के मध्य व्यापार के लिए यह सन्धि हुई लेकिन नेपाल के शक होने के कारण इसे 1989 में समाप्त किया गया।

② काले पानी पर गतिरोध:-

(2) भारत ने नेपाल की सुरक्षा के लिए काले पानी पर 80-90 हजार सैनिक खडे कर रखे है लेकिन नेपाल का मानना है कि भारत उसके आन्तरिक मामलो में हस्तक्षेप करता है।

प्र.18
उ.- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के दो उद्देश्य निम्न है-

① दक्षेस का गठन दक्षिण-पूर्वी एशिया के सहयोग के लिए किया गया। इसका

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

उद्देश्य दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों का सहयोग करना।

2 ② इसका उद्देश्य है कि इसके सदस्य राष्ट्र अपनी आत्मनिर्भरता में वृद्धि करेंगे।

प्र.७
उ.- न्याय :-

प्राचीन समय से ही न्याय राजनीति का प्रमुख आधार रहा है। पश्चिमी परम्परा के अनुसार न्याय सही व गलत की पहचान करने वाला होता है, न्याय ही मनुष्य की आत्मा का सबसे बड़ा गुण है। न्याय का सम्बंध नैतिक, राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक से होता है। भारतीय चिंतन में न्याय के विचारक विदुर सोमदेव कौटिल्य है। तथा न्याय के पाश्चिमी विचारक प्लेटो, अरस्तु है न्याय के दो रूपो की विवेचना निम्न है-

(अ) कानूनी न्याय :- जिन देशो में लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई है वहां पर कानून न्याय का प्रमाण

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

मिलता है, इससे अर्थ है सभी व्यक्तियो के लिए समान कानून का निर्माण करना और समान ही इसका वितरण करना, कानून न्याय लोकतांत्रिक देशो में न्यायपालिका करती है। यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है, तो उसे सजा का प्रावधान भी है।

(ब) सामाजिक न्याय :-

सामाजिक न्याय से अर्थ है, कि समाज में सभी भेदभावो लिंग, जाति, नस्ल के आधार पर जो भेदभाव होते है, उन्हे समाप्त करना ही सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय के अन्तर्गत सभी व्यक्ति समान है। तथा समाज में सभी व्यक्तियो में एकता सांमजस्य सामाजिक न्याय से ही स्थापित हो सकता है।

प्र०20

उ०- समानता :-

सभी लोगो के साथ समानता का व्यवहार ही समानता है। सभी व्यक्ति समान है। समानता का अर्थ है, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नही करना।

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक | प्रश्न संख्या | परीक्षार्थी उत्तर

लॉस्की के अनुसार समानता :-

समानता का अर्थ यह नहीं है, कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाये।

समानता के चार प्रकार निम्न है-

1. प्राकृतिक समानता :-

ईश्वर ने सभी व्यक्तियों को समान पैदा किया है कोई व्यक्ति छोटा (गरीब) या बड़ा (अमीर) नही होता है। ~~सभी लोगो के~~ सभी व्यक्ति प्रकृति रूप से समान है

2. सांस्कृतिक समानता :-

सभी व्यक्ति समाज में भाषा, संस्कृति, लिपि तथा सभी सांस्कृतिक वस्तुएं समान है। सभी को इनकी समानता प्रदान की गई है।

3. अवसरो की समानता :-

भारतीय संविधान के अनु० 16 में अवसरो की समानता प्रदान कि गई है। कि सभी व्यक्तियो को रोजगार के समान अवसर प्रदान किये जायेगे।

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक | प्रश्न संख्या | परीक्षार्थी उत्तर

5. राजनैतिक समानता :-

सभी व्यक्तियों को राजनैतिक समानता है उन्हे भाषण देने, मतदान करने, उम्मीदवार के रूप में खड़े होने की समानता है।

ख- राजनीतिक संस्कृति :-

राजनैतिक संस्कृति राजनीतिक विज्ञान के सामान्य दृष्टिकोण से सम्बंधित होता है क्योंकि मानव का राजनीतिक व्यवहार गतिशील होता है।

आमण्ड व वाबेल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति :-

राजनीतिक संस्कृति किसी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों राजनीतिक प्रक्रियाओ की अभिवृत्ति है।

राजनीतिक संस्कृति की चार विशेषताएं निम्न है-

① व्यक्ति में बदलाव लाने कि प्रवृत्ति है :-

राजनीतिक संस्कृति व्यक्ति में बदलाव लाने का एक माध्यम है। यह व्यक्ति की संस्कृति में समयानुसार परिवर्तन लाती है।

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

② राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक समाजीकरण से जुड़ी है:

संस्कृति राजनीतिक समाजीकरण से जुड़ी है। आमण्ड व पॉवेल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति में राजनीतिक समाजीकरण का प्रवेश करवाया जाता है।

③ राजनीतिक संस्कृति में आदर्शों का महत्व है:

समाज में जो आदर्श विद्यमान होते है। वो राजनीतिक संस्कृति के महत्व को दर्शाते है।

④ राजनीतिक संस्कृति नैतिकता से जुड़ी है:

राजनीतिक संस्कृति व्यक्ति के नैतिक गुणो के महत्व को स्पष्ट करते है। व्यक्ति का नैतिक गुण यह है कि वह बड़ो का सम्मान करे।

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

प्र.22

उ.- राजनीतिक समाजीकरण :→

जिस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति राजनीति के सम्बंध में ज्ञान प्राप्त करता है उसे राजनीतिक समाजीकरण कहते है। तथा एक पीढ़ी से दुसरी पीढ़ी में हस्तान्तरण की प्रक्रिया को ही राजनीतिक समाजीकरण कहते है।

आमण्ड व पॉवेल के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण :→

राजनीतिक समाजीकरण में राजनीतिक संस्कृति का प्रवेश करवाया जाता है।

राजनीतिक समाजीकरण के साधन निम्न है।

1. परिवार :→

व्यक्ति की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है। व्यक्ति परिवार में रहकर परम्पराओ और अपनी संस्कृति को ग्रहण करता है।

2. शिक्षण संस्थाऐ :→

व्यक्ति अपनी पाठशाला में रहकर मित्र मण्डली बनाता है। तथा आदेशो को ग्रहण करता है।

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

3. राजनीतिक दल :-

राजनीतिक समाजीकरण में राजनीतिक दल कि अहम भूमिका होती है। राजनीति में सक्रीय भूमिका निभाते है।

4. राष्ट्रीय प्रतीक :-

राजनीतिक समाजीकरण में राष्ट्रीय प्रतीको की भी भूमिका होती है। जैसे :- राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गान, सेना कि परेड आदि।

23

उत्तर पर्यावरण :-

पर्यावरण दो शब्दो से मिलकर बना है परि + आवरण अर्थात हमारे चारो ओर का आवरण पर्यावरण कहलाता है

आज विश्व अनेक पर्यावरणीय समस्याओ से जूझ रहा है। जैसे :- ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण प्रदुषण आदि आज विश्व के सभी देशो के लिए सम्मेलन भी इसके करते है। जिनमें पर्यावरण आयोजित से सम्बंधित विषयो जागरूकता निर्धारित

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

करते है। तथा पर्यावरण - जागरूकता से सम्बंधी 4 पर्यावरण दिवस व दिनांक उनकी तालिका निम्न है-

दिवस	दिनांक
1. पर्यावरण दिवस	5 जून
2. ओजोन दिवस	16 सितम्बर
3. वन महोत्सव	28 जुलाई
4. जल दिवस	22 मार्च

उपर्युक्त दिवस इन्ही दिनांक पर हर विश्व में मनाये जाते है। तथा पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लिया जाता है। पर्यावरण संरक्षण में प्रत्येक व्यक्ति को अपना योगदान देना चाहिए।

प्र.24
उ.- हमारे अनुसार भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विशेष व्यवस्थाएँ कि गई है। जो निम्न प्रकार है-

1. अल्पसंख्यको व पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था :- अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्गों की स्थिति को

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

सुधारने के लिए अल्पसंख्यकों व पिछड़े वर्गों के लिए 4% आरक्षण की व्यवस्था कि गई लेकिन अब इसे 27% किया जा रहा है, क्योंकि O.B.C. में मुस्लिम अल्पसंख्यक को इसमें शामिल किया जा रहा है।

2. अल्पसंख्यकों व पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था :-

अल्पसंख्यकों के लिए अनु०-30 में शिक्षा का प्रावधान है। क्योंकि 86 वाँ संविधान संसोधन 2002 तथा 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ जिसके तहत 6-14 वर्ष के बच्चों को निः शुल्क शिक्षा प्रदान कि जाएगी।

3. अल्पसंख्यक वर्गों के हितो की सुरक्षा :-

अनु. 29 में अल्पसंख्यको के हितो की सुरक्षा की गई है उनकी भाषा, लिपि संस्कृति की सुरक्षा। कि गई है।

4. अल्पसंख्यको के जीवन स्तर को सुधारने के लिए संविधान में प्रावधान :-

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

अल्पसंख्यको के जीवन स्तर या आम व्यक्ति के जीवन स्तर को सुधारने के लिए संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व समाज कल्याण के लिए उल्लेखित है।

4

प्र.25
उ.- **भ्रष्टाचार :-**
भ्रष्टाचार दो शब्दों से मिलकर बना है, भ्रष्ट + आचरण अर्थात् ऐसा आचरण जो किसी भी दृष्टि से अनैतिक व अनुचित हो भ्रष्टाचार कहलाता है। यह किसी देश की अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह नष्ट करता है। भारतीय राजनीति में यह उच्च स्तर से निम्न स्तर व निम्न स्तर से उच्च स्तर में मौजूद है। इसको रोकने के 5 उपाय निम्न है-

1. फास्ट ट्रेक न्यायालयो की विशेष व्यवस्था:-
भ्रष्टाचार में लिपटे हुये अपराधीयो को तत्काल सजा का प्रावधान हो इसके लिए फास्ट ट्रेक न्यायालयो की व्यवस्था की

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

जानी चाहिए।

2. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम को लागू करना :-

भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम पारित होना चाहिए।

3. राजनीतिक दलो को मिलने वाले चंदे की जाँच हो :-

औद्योगिक घरानो से उद्योगपतियो से मिलने वाले राजनीतिक दलो के चंदे की जाँच होनी चाहिए।

4. ऑनलाइन मतदान की व्यवस्था :-

चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए ऑनलाइन मतदान की व्यवस्था हो।

Note :- भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए विमुद्रीकरण एक अच्छा उपाय है।

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

प्र॰26

उ०- **संयुक्त राष्ट्र संघ:-**

संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण 1942 में सेनफ्रांसिसको सम्मेलन में किया गया। ब्रिटेन के चर्चिल व अमेरिका के रूजवेल्ट के द्वारा 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन किया गया। इसके 6 अंग है-

1. महासभा
2. सुरक्षा परिषद्
3. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय
4. न्यास परिषद्
5. सामाजिक व आर्थिक परिषद्
6. सचिवालय

सुरक्षा परिषद् का गठन:-

U.N.O की सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सुरक्षा परिषद् में सदस्य राष्ट्रो की संख्या 15 है जिनमें 5 स्थाई राष्ट्र जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस व चीन है, 10 अस्थाई सदस्य राष्ट्र है जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है।

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

सुरक्षा परिषद् के कार्य :-

① अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाये रखना।

② यदि किसी राष्ट्र द्वारा कि गई अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खतरा है तो उसका निर्णय लिया जायेगा।

③ सुरक्षा परिषद महासचिव, न्यायधिश के चुनाव में भाग लेती है।

④ इसके सदस्य राष्ट्र एक-दूसरे से व्यापार करेंगे।

⑤ दो देशो के बीच विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझायेंगे।

5

उ०- गुट निरपेक्ष का अर्थ :-

का अर्थ है, किसी भी गुट निरपेक्षता न होना अर्थात् तटस्थता की नीति को अपनाना। गुट निरपेक्ष का उदय 1955 में बांडुंग सम्मेलन में हुआ भारत के नेहरू जी युगोस्लाविया के टिटो, मिस्र के नासिर ने गुट निरपेक्ष का निर्माण किया, इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक | प्रश्न संख्या | परीक्षार्थी उत्तर

बेलग्रेड में आयोजित हुआ। 1956 में इण्डोनेशिया के सुकर्णो, घाना के नकरुमा द्वारा जोरदार समर्थन मिला।

गुट निरपेक्ष की प्रासंगिकता :-

1. गुट निरपेक्ष एक प्रभावशाली मंच तैयार करता है :-

गुट निरपेक्ष एक ऐसा मंच है जिसमें देश युद्ध कि त्रासदी से बच सकते हैं। यह युद्ध की स्थिति से दूर रखने की नीति है।

2. नव स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए गुट निरपेक्ष की नीति :-

नव स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए एक अलग से गुट निरपेक्षता का निर्माण किया गया। ताकि युद्ध से बचा जा सके।

4

3. इसके सदस्य राष्ट्र एक-दूसरे का सहयोग करते हैं :-

गुट निरपेक्ष के सदस्य राष्ट्र एक-दूसरे से व्यापार करेंगे। तथा एक दूसरे का सहयोग करते हैं इसलिए ही गुट निरपेक्षता की नीति प्रासंगिक बनी हुई है।

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

प्र 28
उ- गाँधीवाद :-
गाँधी के विचारों और आदर्शों को ही गाँधीवाद के नाम से जानते है।
गाँधी जी के जीवन के 4 मूल्य है-
1. सत्य
2. अहिंसा
3. प्रेम
4. भाईचारा

* सत्याग्रह का अर्थ :-
गाँधी जी के अनुसार सत्याग्रह का अर्थ है, सत्य के लिए आग्रह करना।
सन् 1913 में द. अफ्रीका में सत्याग्रह आन्दोलन किया फिर 1915 में भारत आने पर किया।

सत्याग्रह कि 7 विशेषताऐं है-
1. ईश्वर में विश्वास
2. सत्य व अहिंसा पर विश्वास
3. सत्य का प्रयोग
4. हिंसा का त्याग
5. सत्य, अहिंसा ईश्वर एक है।
6. शुद्ध देह
7. आत्म ज्ञान।

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

सत्याग्रह के प्रारूप है जो निम्नलिखित है-

1. असहयोग :- असहयोग का अर्थ है किसी भी प्रकार का कोई सहयोग न करना। इसका प्रयोग गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किया इसके 3 प्रकार है-

(1) धरना :- जब किसी व्यवसाय या कार्य सरकार का विरोध किया जाये। तथा अपनी मांगो को मनवाने के लिए भूख हड़ताल कि जाये तो उसे धरना कहते है।

(2) बहिष्कार :- सरकारी काम के विरुद्ध या निजि काम के विरुद्ध बहिष्कार भी किया जाता है। गांधी जी ने विदेशी वस्तुओ के बहिष्कार पर जोर दिया।

(3) हड़ताल :- विरोध स्वरूप बंद करना ही हड़ताल है।

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

2. सविनय अवज्ञा :-

इसका अर्थ है जान बूझकर कानून को तोड़ना अर्थात जनता द्वारा ऐसी जगह जहाँ जहाँ निषेध हो जनता इसका प्रयोग सरकार का ध्यान उनकी माँगो की ओर खींचने के लिए करती है।

3 हिजरत :-

हिजरत वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता है। इसमें व्यक्ति आत्म सम्मान की रक्षा के लिए ऐसा करता है।

4. उपवास :-

उपवास धरने या भूख हड़ताल का ही दूसरा रूप है इसमें व्यक्ति को भोजना जल मिलता है वह सब भी उसका जिम्मेदार है व्यक्ति भूखे रहकर ही उपवास करता है।

6

प्र०30 राष्ट्रपति :-

राष्ट्रपति का वर्णन अनु० 52 में है। अनु० 53 में वह राष्ट्र का संवैधानिक अध्यक्ष होता

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

है। अनु० 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है।

राष्ट्रपति को दो प्रकार की शक्ति प्राप्त है-

(1) आपातकालीन
(2) सामान्यकालीन

राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ निम्न है-

1. कार्यपालिका सम्बंधि शक्ति :-> अनु०-53 में राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। कार्यपालिका सम्बंधि शक्ति निम्न है-

(1) राज्यों के शासन पर नियंत्रण :-> जब राज्य में आपातकालीन शक्ति का प्रयोग होता है, तो राज्यों का शासन केन्द्र के पास आ जाता है।

(2) तीनों सेनाओं का प्रमुख :-> राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनापति होता है।

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

③ भारत के शासन पर नियंत्रण :-

आपातकाल के दौरान भारत का शासन राष्ट्रपति के हाथों में आ जाता है। जब केन्द्र में आपातकाल लगता है।

④ विदेशों से सम्बंधित कार्य :-

विदेशों में संधि, समझौते व वार्ता राष्ट्रपति करता है।

⑤ शासन संचालन सम्बंधि शक्ति :-

मन्त्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।

2. विधायी शक्तियाँ :-

① संसद के सदस्यों को मनोनित करने की शक्ति :-

राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्लो-इण्डियन तथा राज्यसभा में 12 सदस्य कला, विज्ञान, साहित्य, खेल क्षेत्र से मनोनीत करता है।

② अध्यादेश जारी करना :-

अनु॰ 123

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

में जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है, तो अध्यादेश भी जारी करता है।

③ विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति :→ राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर अपनी अन्तिम स्वीकृति देता है।

3. वित्तिय शक्ति :→ राष्ट्रपति लोकसभा में धन विधेयक भी पारित करवाता है तथा नये अनुदानो (TAX) की स्वीकृति भी देता है।

4. न्यायिक शक्ति :→

① क्षमादान करने की शक्ति :→ राष्ट्रपति अनु० 72 के तहत जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को मृत्यु दण्ड या उम्र कैद की सजा दे देता है तो राष्ट्रपति उसे क्षमा भी कर सकता है और कम भी।

③ सलाह सम्बंधी अधिकार :→ राष्ट्रपति अनु० 143 में सर्वोच्च न्यायालय से

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

6

सलाह माँग सकता है उसे सलाह को माने या न माने यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है।

प्र.29 उ. ~~मौलिक अधिकार~~

संविधान :⇒

~~किसी भी देश के~~

प्र.29 उ.- मौलिक अधिकार :→

भारतीय संविधान के भाग-3 में तथा अनु॰ 12-30, 32-35 तक मूल अधिकारो का वर्णन भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार है

(1) समानता का अधिकार (अनु॰ 14-18)
(2) स्वतंत्रता का अधिकार (अनु॰ - 19-22)
(3) शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनु॰ 23-24)
(4) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनु॰ 25-28)
(5) शिक्षा का अधिकार (अनु॰ 29-30)
(6) संवैधानिक उपचारो का अधिकार (अनु॰ 32)

(अ) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनु॰ - 25 - 28)

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

① अनु॰ 25 – धर्मांतरण की स्वतंत्रता :→ इसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है तथा उसकी पूजा कर सकता है।

② अनु॰ 26 – धार्मिक मामलो का प्रावधान :→

(i) कोई भी व्यक्ति अपनी धार्मिक संस्थान चला सकता है।
(ii) धार्मिक मामलो का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता
(iii) किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कर देने के लिए बाध्य नही किया जायेगा।

③ अनु॰ 27 – धार्मिकरण की स्वतंत्रता :→ इसके अन्तर्गत व्यक्ति धर्म के आधार में कर नही देगा।

④ अनु॰ 28 – राजकीय संस्थाओ में धार्मिक शिक्षा पर रोक :→ इसके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पर शिक्षा प्रदान नही करेगा। राजकीय संस्थाओ में धार्मिक शिक्षा नही दी जायेगी।

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

(ब) संवैधानिक उपचारों का अधिकार :- (अनु० 32)

इस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है, इसके बगैर संविधान निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। इसमें व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए 5 रिट जारी कि जाती है -

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण :-

इसके अन्तर्गत पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को 24 घण्टे में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

2. परमादेश :-

इसका अर्थ है मैं आदेश देता हूँ, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय किसी भी अधिकारी वर्ग तथा उच्च न्यायालय को कर्तव्य निर्वहन के लिए आदेश दे सकता है।

3. प्रतिषेध लेख :-

जब सर्वोच्च न्यायालय ~~अधिनस्थ अधिनस्थ~~ आधिनस्थ न्यायालय को कोई आदेश देना चाहता है उसमें सर्वोच्च ~~न्याया~~ न्यायालय उच्च न्यायालय को माध्यम बनाता है।

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

सर्वोच्च न्यायलय → उच्च न्यायलय
↓
अधिनस्थ न्यायलय

4. उत्प्रेषण लेख :→

~~जब सर्वोच्च न्यायलय~~ अधिनस्थ न्यायलय को सर्वोच्च न्यायलय को कोई सुझाव देना चाहता है, तो उसमें उच्च न्यायलय का माध्यम लिया जाता है।

अधिनस्थ न्यायलय → उच्च न्यायलय
↓
सर्वोच्च न्यायलय

5. अधिकार पृच्छा :→

जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का सही ढंग से निर्वहन नहीं करता है, तो सर्वोच्च न्यायलय उसकी जाँच करने के आदेश दे सकता है, और उसे पद से हटा सकता है।

(6)

समाप्त

BSER-165/2019